तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5279/2004/भरतपुर** **करन सिंह बनाम गिर्राज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 03.08.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई ने अपने आदेश दिनांक 14.6.02 के द्वारा विवादित भूमि आराजी ख0न0 106 रकबा 2.16 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि पर वह पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त करते आ रहे है। विचारण न्यायालय ने उनके कब्जा काश्त की भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से कर दिया इसलिए अप्रार्थीगण को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2004 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुये आवंटन आदेश दिनांक 14.06.02 को बहाल रख दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि आराजी ख0न0 106 रकबा 2.16 बिस्वा पर अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन आदेश देने से पूर्व विचारण न्यायालय ने आवंटित भूमि का क्लेम भी निर्धारित नहीं किया तथा न ही उन्हें बेदखल किया गया उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5279/2004/भरतपुर** **करन सिंह बनाम गिर्राज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन बिना विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये ही किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने भूमि का आवंटन करने से पूर्व न तो अधिग्रहित भूमियों सूची बनायी और ना ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित की उदघोषणा जारी की गयी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। अपीलार्थीगण भूमिहीन कृषक है इसलिए विवादित आराजी को वह अपने हक में आवंटन/नियमन कराने के अधिकारी है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन करते हुये अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया अपीलांट भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट ने अपने आप को भूमिहीन होना सिद्व नहीं किया इसलिए उसे विवादित आराजी का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन, आवंटन सलहाकार समिति तथा नियमानुसार सभी आवंटन कोरम को पूर्ण करने के पश्चात तथा यह प्रमाणित होने के पश्चात की अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आते है, विचाराण न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन किया गया है। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में प्रस्तुत पत्रावली व दस्तावेजात और आवंटन सबंधी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के सबंध में तत्कालीन समय में सबंधित आवंटन/नियम कमेटी ने अपीलांट पक्ष के प्रार्थना पत्र पर विचार किया था और उसका निस्तारण खारिज करने हेतु यह कहकर किया कि इनके पास पूर्व में ही भूमि है और आवंटनके पश्चात 15 बीघा से अधिक भूमि हो जायेगी। अतः यह आवंटन इनसे कम भूमि वाले कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5279/2004/भरतपुर** **करन सिंह बनाम गिर्राज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों को किया जाना ज्यादा उचित माना है। जिनको आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने के दिशा–निर्देश राज्य सरकार द्वारा भी समय–समय पर दिये गये है। इस स्थिति में यद्यपि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रहा हो तो भी वह अतिक्रमी की श्रेणी में ही माना जावेगा। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन विधिनुसार व न्यायोचित पाया जाता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश बहाल रखा जाता है। निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) सदस्य	